न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
05 / 2020	04 / 02 / 2020	24 / 09 / 2025

1. रामचरण पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा नि० छत्रपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा।

वादी

बनाम

1. सुमित्राबाई पत्नी गुलाबराय जाति कोकना निवासी अयानी तह0 पीपल्दा जि० कोटा
2. गुलाबराय पुत्र ही दरशन जाति कोकना निवासी अयानी तह0 पीपल्दा जि० कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसील पीपल्दा जि. कोटा।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत 2074 से 2077 के मुताबिक ख.नं. 84 रकबा 1.48 है, नहरी द्वितीय कृषि आराजी वाके माल ग्राम अयाना तह० पीपल्दा जि० कोटा में खातेदार सुमित्राबाई पत्नी गुलाबराय जाति कोकना निवासी छत्रपुरा अयाना के खाते में दर्ज चली आ रही है, जमाबंदी सवत 2074–77 सलग्न वाद पर है। खातेदार सुमित्राबाई के मुख्तार आम उसके पति गुलाबराय पुत्र दरशन राय जाति कोकना निवासी छत्रपुरा अयाना द्वारा रूपया की सख्त आवश्यकता होने के कारण उक्त वर्णित कृषि आराजी ख.नं. 84 रच्या 1.48 है, वाके माल ग्राम अयाना तह0पीपल्दा जि. कोटा को बिल एवज 59001 रु अक्षरे उनसठ हजार एक रुपये मात्र में वादी के पिता श्री जगन्नाथ पुत्र किशनलाल जाति मीणा नि0 कुमारिया उर्फ छत्रपुरा अयाना तह0 पीपल्दा को बेचान करके सम्पूर्ण रकम प्राप्त करली तथा मौके पर कब्जा केता श्री जगन्नाथ को संभला दिया गया तथा बेचान का इकरारनामा स्टाम्प कीमती 14 रु किता 2 पर दिनांक 31–5–1999 को क्रेता के पक्ष में निष्पादित किया गया तथा कहाँ कि जब भी केता कहेगा बैचान की गई उक्त कृषि आराजी की रजिस्ट्री उसके पक्ष में निष्पा दित करवा दिया जायेगा रजिन्द्री खर्चा स्वंय केता का होगा। विवादित कृषि आराजी ख.नं. 84 रकबा 1.48 है0 पर सन 1991 से ही वादी के पिता जगन्नाथी का काबिज काश्त करता चला आ रहा था, जगन्नाथ की मृत्यु करीबन 6–7 वर्ष पूर्व हो चुकी है, वादी जगन्नाथ का कायम मुकाम वारिसान है, तथा जगन्नाथ की मृत्यु के बाद से ही वादी उक्त कृधि आराजी पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। वादी के पिता जगन्नाथ द्वारा अपने जीवन काल से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से कहा कि उक्त जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम से करवा दो, लेकिन प्रतिवादीगण बहाने बताते रहे तथा उसी दौरान उक्त कृषि आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने लगे लेकिन जगन्नाथ द्वारा अपने जीवन काल में उक्त आराजी पर कब्जा बनाए रखा तथा उनकी मृत्यु के बाद वादी द्वारा उक्त कृषि आराजी पर प्रतिकुल कब्जा बनाये रखा जो आज तक बदस्तूर जारी है। वादी अपने पिता द्वारा कय की गई उक्त कृषि आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है तथा अपने अधिकारों व स्वत्व की घोषणा माननीय न्यायालय से करवाने का पूर्ण अधिकारी है तथा कब्जा मुतालापाखाना प्रतिकूल के आधार पर भी वादी उक्त कृषि आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने का पूर्ण अधिकारी है, तथा प्रतिवादीगण निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा दिनांक 30–12–2019 को वादी को उक्त कृषि आराजी पर से बेदखल करने की धमकी देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ।

वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि ख0नं0 84 रकबा 1.48 है, माल ग्राम अयाना तह0 पीपल्दा जि. कोटा को मुताबिक इकरारनामा एवं कब्जा

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

मुतालपखाना के आधार पर वादी को खातेदार कृषि घोषित किया जावे तथा वादी के शांति पूर्ण कब्जे से किसी तरह की मदालत व मजाहमत न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये।

वादी की ओर से वाद श्री हरिमोहन मीणा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 रामचरण, पी0डब्लयू0 2 गंगाधर पी0डब्ल्यू0 3 रामकुंवार पेश किया जो शामिल पत्रावली है। रामचरण ने अपने समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2074–77 पदर्श–1, नक्शा ट्रेस भूमि ग्राम अयाना प्रदर्श पी–2, इकरारनामा बैचान दिनांक 03.06.1989 प्रदर्श पी–3, इकरारनामा प्रदर्श पी–4 पेश किया। बहस हेतु नियत की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों का अवलोकन व बहस के तथ्यो का मनन किया गया। अवलोकन व मनन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादी द्वारा वाद के समर्थन में कोई प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। खातेदारी अधिकारों का अंतरण राज0 काश्त अधि0 1955 के प्रावधानों के तहत ही किया जा सकता है। अपंजीकृत दस्तावेज साक्ष्य के रूप में मान्य तथा स्वीकार नहीं होने के कारण खातेदारी अधिकार रिकॉर्डेड काश्तकार से हस्तातंरित नहीं किये जा सकते। अपंजीकृत दस्तावेज तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर पुराने राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। पत्रावली में कब्जे के संबंध में भी कोई दस्तावेज या साक्ष्य विद्यमान नहीं है। अतः वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर
[illegible] जिला [illegible] (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
05 / 2020	04 / 02 / 2020	24 / 09 / 2025

1 रामचरण पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा नि० छत्रपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा।

वादी

बनाम

1. सुमित्राबाई पत्नी गुलाबराय जाति कोकना निवासी अयानी तह0 पीपल्दा जि० कोटा
2. गुलाबराय पुत्र दरशन जाति कोकना निवासी अयानी तह0 पीपल्दा जि० कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसील पीपल्दा जि. कोटा।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री हरिमोहन मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 24.09.2025 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर

इटावा जिला कोटा (राज.)